न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0) (6)

R 5266-II/16

Pr-301.

संत सिंह तनय स्व0 श्री अनसुईया सिंह निवासी ग्राम सतरी तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0। ....आवेदक / निगरानीकर्ता

बनाम

1. कतहुरी देवी पत्नी स्व0 जगोत्तम सिह
2. अजय सिंह तनय स्व0 जगोत्तम सिह
3. विजय सिंह तनय जगोत्तम सिह
4. संजय सिह तनय स्व0 जगोत्तम सिह
5. अजीत सिह तनय स्व0 जगोत्तम सिह सभी निंवासी ग्राम सतरी तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र।
6. म0प्र0 राज्य द्वारा पटवारी हल्का सतरी ....अनावेदकगण

श्री सन्त सिंह आवेदक 15-6-16 द्वारा आज दिनांक को प्रस्तुत किया गया

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0 प्रकरण कमांक 42 / अपील / 2015–16 आदेश दिनांक 04 / 6 / 2016

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0 रा0सं0 1959 ई0।

मान्यवर,

निगरानी आवेदन पत्र के आधार निम्नलिखित है :–

1. यह कि भूमि खसरा कमांक 656 / 1 क रकवा 0.194 हे0, स्थित ग्राम सतरी तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना आवेदक एवं अनावेदक 1 ता 5 के पूर्वजो के संयुक्त स्वत्व एवं अधिपत्य की पैतृक थी, जो विभाजन मे आवेदक के पिता को प्राप्त हुयी थी, विभाजन बाद पृथक्क कब्जा दखल भी आवेदक के पिता व उसके बाद आवेदक का जरिये कृषि कायम रहा आया जो वर्तमान मे आवेदक निरंतर काबिज है, लेकिन सहवन उक्त भूमि मे अनावेदक 2 ता 5 के बाबा के नाम खसरा मे दर्ज हो गयी व उसी कमं मे 2 ता 5 के पिता जगोत्तम सिंह के नाम दर्ज हो गयी जिसके राजस्व रिकार्ड की जानकारी होने पर आवेदक द्वारा जगोत्तम सिंह से कहा गया कि उक्त भूमि विभाजन मे मुझे प्राप्त हुयी थी व मेरा ही कब्जा दखल है, आप मेरे नाम बटवारा नामांतरण करा दीजिये तब जगोत्तम सिंह द्वारा स्वतः सहमति देकर न्यायालय सहायक अधीक्षक भू0अ0

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 5266–दो/2016 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01–04–2017	आवेदक अधिवक्ता को ग्राह्यता के बिन्दु पर पर सुना गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार त्योंथर वृत्त चाक प्र0क0 42/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 4–6–2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 3/ आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया जिससे प्रकट होता है कि अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष तहसीलदार के प्रकरण कमांक 5/अ–6–अ/14–15 में पारित आदेश दिनांक 28–9–15 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने जानकारी दिनांक से समय–सीमा में मानकर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया है। अनुविभागीय अधिकारी ने म्याद अधिनियम की धारा 5 के आवेदम पर सकारण आदेश पारित किया है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार प्रकरण का निराकरण तकनीकी आधारों पर न किया जाकर गुण–दोषों के आधार पर किया जाना चाहिए। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रथमदृष्टया प्रकट नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0 एस0 अली) सदस्य	